

## Ministry Panchayati Raj

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73<sup>rd</sup> Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:


- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work

### Summary on Major achievements, significant developments and important events of MoPR for the month of July, 2019

1. During the month, under Fourteenth Finance Commission (FFC) Grants, MoPR has recommended to MoF for release of 2<sup>nd</sup> instalment of Basic Grant of Rs.467.80 crore to Assam, Rs.235.48 crore to Jammu & Kashmir for FY 2017-18 and 1<sup>st</sup> instalment of Basic Grant of Rs.816.29 crore to Jharkhand, Rs.524.26 crore to Haryana, Rs.2029.77 crore to Maharashtra, Rs.20.04 crore to Sikkim and Rs.725.65 crore to Telangana for FY 2019-20.
2. During the month under FFC, MoF released 2<sup>nd</sup> instalment of Basic Grant of Rs.467.80 crore to Assam, Rs.235.486 crore to Jammu & Kashmir for FY 2017-18 and 1<sup>st</sup> instalment of Basic Grant of Rs.816.295 crore to Jharkhand, Rs.524.265 crore to Haryana, Rs.2029.775 crore to Maharashtra, Rs.1840.505 crore to Rajasthan, Rs.20.045 crore to Sikkim, Rs.725.65 crore to Telangana and Rs.1851.625 crore to West Bengal for FY 2019-20.
3. The total release of Basic Grant under FFC for the year 2015-16 to 2019-20 was:

(Rs. in crore)

Sl. No.	Year	Allocation	Release
1.	2015-16	21624.46	21510.46
2.	2016-17	29942.87	29412.95
3.	2017-18	34596.26	33575.12
4.	2018-19	40021.63	35359.38
5.	2019-20	54077.80	19166.41
	<b>Total</b>	<b>180263.02</b>	<b>139024.32</b>



2. The release of Performance Grant under FFC was Rs.3,499.45 crore against the allocation of Rs.3,927.65 crore for 2016-17 and Rs.1,106.90 crore against allocation of Rs.4444.71 crore for the year 2017-18.
3. Funds to the tune of Rs. 19.36 Crore were released to the states of Arunachal Pradesh and Mizoram as per the Annual action plan approved by CEC for the year 2019-20 under the scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyaan (RGSA).
4. Inspired by visible and encouraging performance of the Gram Sabha and other stake holders involved in the People's Plan Campaign last year and to transform the GDPDP formulation process into a participative and transparent exercise, a meeting of the representatives of 18 Ministries, that cover 29 subjects devolved to the Panchayats, was conducted by the Secretary MoPR to discuss the modalities of a similar campaign this year from 2<sup>nd</sup> October.
5. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing the States for closure of account on PRIASoft for FY 2017-18, GP/vendor registration and for procurement of Digital Signature Certificates. For the year 2017-18, 94% of the Gram Panchayats have closed their account books. Around 1,70,666 GPs (67%) have already procured Digital Signature Certificates (DSCs). Furthermore, States have also commenced closure of account books for the year 2018-19. States have also commenced closure of day books and month books for 2018-19. Around 66% of Gram Panchayats have closed day book and month books and around 64% of Gram Panchayats have closed their year books for FY 2018-19.
6. As a part of the ensuing 100 Days Action Plan, one of the activities include "On-boarding of 1 lakh Gram Panchayats on PRIASoft-PFMS". In this regard, 47,692 Gram Panchayats have on-boarded PRIASoft-PFMS interface.

7. A meeting was held on July 15, 2019 under the Chairmanship of Additional Secretary, MoPR to review the Gram Panchayat Spatial Planning Application. A demonstration was made on the proposed “Gram Panchayat Atlas”. It is envisaged that the application would act as a decision support system for preparing realistic Gram Panchayat Development Plan and facilitate to perform planning at Gram Panchayat level with the use of geographic data.
8. For mapping Census 2021 data with the Local Government Directory (LGD) application and its further use across e-Governance Applications of other Ministries & Line Departments, an advisory has been sent on July to the States/UTs to sensitize them for considering the formation of Enumeration Block (EB) within the boundary.
9. As a part of Jal Shakti Abhiyaan (JSA), the Ministry of Panchayati Raj has communicated to Department of Drinking Water and Sanitation, Jal Shakti Mantralaya, M/o Rural Development, M/o Agriculture Cooperation and Farmer Welfare; and M/o Environment, Forest and Climate Change for mapping of LGD codes in their respective e-Governance Applications.

\*\*\*\*\*


## पंचायती राज मंत्रालय

### जुलाई, 2019 का मासिक सारांश

1. महीने के दौरान, चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान के तहत, पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए असम को मूल अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में 467.80 करोड़ रुपये, जम्मू एवं कश्मीर हेतु 235.48 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए झारखंड को मूल अनुदान की पहली किस्त के रूप में 816.29 करोड़ रुपये, हरियाणा को 524.26 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 2029.77 करोड़ रुपये, सिक्किम को 20.04 करोड़ रुपये और तेलंगाना को 725.65 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की है ।
2. एफएफसी के तहत इस महीने के दौरान वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए असम को 467.80 करोड़ रुपये और जम्मू एवं कश्मीर को 235.486 करोड़ रुपये की मूल अनुदान की दूसरी किस्त और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए झारखंड को 816.295 करोड़ रुपये, हरियाणा को 524.265 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 2029.775 करोड़ रुपये, राजस्थान को 1840.505 करोड़ रुपये, सिक्किम को 20.045 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 725.65 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 1851.625 करोड़ रुपये मूल अनुदान की पहली किस्त जारी की है।
3. वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान एफएफसी के तहत मूल अनुदान की कुल निर्मुक्ति निम्नवत है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	जारी
1.	2015-16	21624.46	21510.46
2.	2016-17	29942.87	29412.95
3.	2017-18	34596.26	33575.12
4.	2018-19	40021.63	35359.38
5.	2019-20	54077.80	19166.41
	<b>कुल</b>	<b>180263.02</b>	<b>139024.32</b>



4. वर्ष 2016-17 के लिए एफएफसी के तहत 3,927.65 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में कार्य निष्पादन अनुदान 3,499.45 करोड़ रुपये और वर्ष 2017-18 के लिए 4444.71 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 1,106.90 करोड़ रुपये जारी किए गए।

5. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की योजना के तहत सीईसी द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 19.36 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6. पिछले साल जन योजना अभियान में शामिल ग्राम सभा और अन्य हितधारकों के प्रदर्शन और उत्साहजनक कार्य निष्पादन से प्रेरित और जीपीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया को एक सहभागितापूर्ण और पारदर्शी अभ्यास में बदलने के लिए, पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पंचायतों को समर्पित विषय पर 2 अक्टूबर से अभियान चलाने के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए पंचायतों को अंतरित 29 विषयों से संबंधित 18 मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक बैठक सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संपन्न की गई।

7. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए राज्यों का शिद्धत से अनुसरण कर रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय वित्त वर्ष 2017-18 के लिए, ग्राम पंचायत/ विक्रेता पंजीकरण के लिए प्रियासॉफ्ट पर खाता बंद करने और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों की खरीद के लिए राज्यों को प्रेरित कर रहा है। वर्ष 2017-18 के लिए 94% ग्राम पंचायतों ने अपने खाते की बही-खाते बंद कर दी हैं। लगभग 1,70,666 ग्राम पंचायतें (67%) डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) खरीद

चुके हैं। इसके अलावा, राज्यों ने वर्ष 2018-19 के लिए खाता बही को भी बंद करना शुरू कर दिया है। राज्यों ने 2018-19 के लिए दैनिक और मासिक खाता-बही भी बंद करना शुरू कर दिया है। लगभग 66% ग्राम पंचायतों ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दैनिक और मासिक खाता-बही और लगभग 64% ग्राम पंचायतों ने अपनी वार्षिक खाता-बही बंद कर दी है।

8. आगामी 100 दिनों की कार्य योजना के एक भाग के रूप में "प्रियासॉफ्ट- पीएफएमएस पर 1 लाख ग्राम पंचायतों को ऑन-बोर्डिंग" करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इस संबंध में, 47,692 ग्राम पंचायतों में प्रियासॉफ्ट- पीएफएमएस इंटरफ़ेस ऑन-बोर्ड किया गया है।

9. ग्राम पंचायत स्पेशियल (स्थानिक) प्लानिंग एप्लीकेशन की समीक्षा के लिए अतिरिक्त सचिव, एमओपीआर की अध्यक्षता में 15 जुलाई, 2019 को एक बैठक आयोजित की गई थी। प्रस्तावित "ग्राम पंचायत एटलस" पर एक प्रदर्शन किया गया था। यह परिकल्पना की गई है कि अनुप्रयोग यथार्थवादी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए एक निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा और भौगोलिक डेटा के उपयोग के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन करने की सुविधा प्रदान करेगा।

10. स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) अनुप्रयोग और अन्य मंत्रालयों और संबंधित विभागों के ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों के साथ इसके आगे के उपयोग के लिए जनगणना 2021 डेटा के मानचित्रण के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को संवेदीकृत करने हेतु एक परामर्शिका को जुलाई में भेजी गयी है ताकि वे सीमा के भीतर गणना ब्लॉक (ईबी) के गठन पर विचार कर सकें।

11. जल शक्ति अभियान (जेएसए) के एक हिस्से के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय ने पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपने संबंधित विभागों को ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में एलजीडी कोड की मैपिंग के लिए सूचित किया है।

\*\*\*\*\*